न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 18 / 2021 **दायर दिनांक :—01.02.2021**

उनवान

1. महावीर आयु 53 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड निवासी धाकडों का मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा पोस्ट अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

निर्णय

दिनांकः— 19.06.2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183. 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 72 का ख.नं. 240 का रकबा 0.91 हे0, ख.नं. 246 का रकबा 1.57 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.48 हे0 आराजी वादी के दर्ज खाता स्थित है। वाद पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तथा नकल नक्शा ट्रेस पेश है जो काबिल गौर है। वादी वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी को प्रतिवादीं क्रम 1 को मुनाफा काश्त पर जुपाता चला आ रहा था। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बद्नियति एवं बेईमानी आ जाने के कारण उसने इस वर्ष जबरन ताकत के बल पर वादी की आराजीयात पर कब्जा कर लिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 वादी को उसके स्वामित्व की आराजी पर काश्त नहीं करने दे रहा है। वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से कहा कि आपको मैंने जमीन मुनाफा काश्त पर जुपाई थी जिसकी अवधि वर्ष 2019 में समाप्त हो चुकी है तो प्रतिवादी क्रम 1 लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करने पर आमादा हो गया तथा खेत पर जाने पर जान से मारने की धमकी दी तथा कहता है कि इस तुम्हारी जमीन पर से कब्जा नही छोडूगा तुम्हे जो कार्यवाही करनी हो वह कर लेना। वादी गरीब व्यक्ति है जिसके उक्त आराजीयात के अलावा अन्य कोई आराजी नही है। प्रतिवादी क्रम 1 के चार भाई है तथा उनके परिवार में 15—20 व्यक्ति है जो जबरन

ताकत के बल पर डरा धमकाकर वादी के स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा बनाये रखना चाहते है जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध थाना अटरू में दिनांक 20/10/2020 को दी तो थाने वालो ने कहा कि अदालत से आदेश लेकर आओ तथा रिपोर्ट दर्ज नही की। वादी के स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ने जबरन दादागिरी के बल पर कब्जा कर रखा है। वादी द्वारा उसके स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने का प्रार्थना पत्र वादी द्वारा दिनांक 29/12/2020 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बारां को दिया गया जिस पर उन्होने कोई कार्यवाही नही की इसलिए वादी ने यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है इसलिए वादी के स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे। जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिशी है। प्रार्थना पत्र दिनांक 29/12/2020 की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल किया जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 को वादी के स्वामित्व की आराजी पर से बेदखल नही किया गया तो वादी अपने स्वामित्व की आराजी पर प्राप्त हक हकूको से वंचित हो जावेगा तथा जिसके फलस्वरूप वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 20/10/2020 को वादी द्वारा उसके स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 से कब्जा छोड़ने का निवेदन करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 20/01/2021 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कब्जा छोड़ने से साफ इन्कार करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद बेदखली तथा स्थायी निषेधाज्ञा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार

तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित की जावे कि :–

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित उसके स्वामित्व की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत pw1 महावीर पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड निवासी अटरू तहसील अटरू का द्वारा सशपथ बयानों मे कथन किया है वाके ग्राम एवं माल लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 72 का ख.नं. 240 का रकबा 0.91 हे0, ख.नं. 246 का रकबा 1.57 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.48 हेक्टर आराजी मेरे दर्ज खाता स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी को मैं प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल को मुनाफा काश्त पर जुपाता चला आ रहा था। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बद्दिनयति एवं बेईमानी आ जाने के कारण उसने वर्ष 2020 में जबरन ताकत के बल पर मेरे स्वामित्व की आराजी पर कब्जा कर लिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल मुझे मेरें स्वामित्व की आराजी को काश्त नहीं करने दे रहा है। मैंने प्रतिवादी क्रम 1 से कहा कि आपको मैंने जमीन मुनाफा काश्त पर जुपाई थी जिसकी अवधि वर्ष 2019 को समाप्त हो चुकी है तो प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल लडाई झगड़ा कर मारपीट करने पर आमादा हो गया तथा खेत पर जाने पर जान से मारने की धमकी दी तथा कहता है कि इस तुम्हारी जमीन पर से कब्जा नही छोडूंगा, तुम्हे जो कार्यवाही करनी हो वह कर लेना। मैं गरीब व्यक्ति हूं, मेरे उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नही है। प्रतिवादी क्रम 1 के चार भाई है तथा उनके परिवार में 15–20 व्यक्ति है जो जबरन ताकत के बल पर डरा धमकाकर मेरे स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा

बनाये रखना चाहते है जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। मैंने मेरे स्वामित्व की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जबरन कब्जा करने पर प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल के विरूद्ध थाना अटरू में दिनांक 20/10/2020 को रिपोर्ट दी तो थाने वालो ने कहा कि अदालत से आदेश लेकर आओ तथा रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैंने दिनांक 29/12/2020 को मेरे स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल को बेदखल कर कब्जा दिलाने का प्रार्थना पत्र भी दिया था परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही हुई इसलिए मैंने यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है। मेरे स्वामित्व की आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल को बेदखल किया जाकर कब्ज़ा मुझे दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह मेरे स्वामित्व की आराजी का मुझे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

तहसीलदार अटरू से वाद के संबंध में मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/27 दिनांक 07.01.2025 से मौका रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा की विवादित आराजी ख.नं. 240, 246 कुल किता 2 का रकबा 2.48 हे0 खातेदार महावीर पुत्र बिहारी जाति धाकड सा. अटरू खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा के खाते दर्ज हैं। मौके पर वर्तमान में बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा काश्त कर रहा है। उक्त विवादित आराजी पर कब्जे काश्त की पडौसियो से जानकारी ली गई तो बताया की लगभग 18 से 20 वर्षो से बाबुलाल पुत्र भंवरलाल ही काश्त करता चला आ रहा है।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम व माल लक्ष्मीपुरा की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 (प्रदर्श–P1) खाता संख्या 72 के ख0नं0 240 रकबा 0.91 है0 एवं ख0नं0 246 रकबा 1.57 है0 आराजी वादी महावीर पुत्र बिहारी के दर्ज खाता है अर्थात् वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। उक्त ग्राम व माल लक्ष्मीपुरा की विवादित आराजी खाता संख्या 72 के ख0नं0 240 रकबा 0.91 है0 एवं ख0नं0 246 रकबा 1.57 है0 आराजी भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 ने कब्जा कर रखा है, जो रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से साबित है। प्रतिवादी क्रम 1 ने स्वयं के पक्ष में जवाब व अन्य कोई तथ्य पेश नही किया है।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 कतिपय अतिचारियों की बेदखलीः–

i- इस अधिनियम में किसी उपबंध मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है तो उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन उसको बेदखल करने के लिए हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा वाद करने पर बेदखली के लिए दायी होगा और प्रत्येक उस सम्पूर्ण कृषि वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए जिसके दौरान उसे ऐसा कब्जा रखा, शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुना तक हो सकेगी, संदत्त करने का अतिरिक्त रूप से दायी होगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का प्रतिकूल कब्जा है। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेशः::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम व माल लक्ष्मीपुरा के खाता संख्या 72 के ख0नं0 240 रकबा 0.91 है0 एवं ख0नं0 246 रकबा 1.57 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.48

है0 आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवादी क्रम 1 उक्त आराजी पर दखलंदाजी न करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 18/2021

उनवान

1. महावीर आयु 53 वर्ष पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड निवासी धाकडों का मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा पोस्ट अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम व माल लक्ष्मीपुरा के खाता संख्या 72 के ख0नं0 240 रकबा 0.91 है0 एवं ख0नं0 246 रकबा 1.57 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.48 है0 आराजी से प्रतिवादी कम 1 बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवादी कम 1 उक्त आराजी पर दखलंदाजी न करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.06.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)